उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-197/2019/07वीआईपी/92-2-2019-55(जॉच)/2018,

लखनऊ :: दिनांक:: 17 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद कानपुर में डा0 अम्बेडकर इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलॉजी फार हैन्डीक्राप्ट, अवधपुरी, कानपुर नगर के महिला छात्रावास तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण कार्यों को कराये जाने में की गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/2018/292/92-2-2018-55जांच/2018, दिनांक 30 जनवरी, 2019 द्वारा श्री डी0डी0 पाठक, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल बस्ती को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- अनुशासनिक जांच गतिमान रहने के दौरान अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77अ0मु0स0/92-2-2019-55(जॉच)/2018 दिनांक 09.07.2019 द्वारा उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.01.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-2 आरोपों को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित/सिद्ध नहीं पाया गया। अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/2018/292/92-2-2018-55जांच/2018, दिनांक 30 जनवरी, 2019 द्वारा श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77अ0मु0स0/92-2-2019-55(जॉच)/2018 दिनांक 09.07.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया मे उन्हें दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-197/2019/07वीआईपी(1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल बस्ती ।

3- श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीणअभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।